न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) R. 5210-दो/15

श्री रामराज पटेल एड. द्वारा पेश 8.12.15

8.12.15 क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

1— आम जनता इटौरा द्वारा बृजकिशोर नामदेव तनय स्व0 श्री रामशरण नामदेव उम्र 30 वर्ष, पेशा दुकान

2— अवनीन्द्र कुमार पटेल तनय श्री कृष्ण पटेल, उम्र 42 वर्ष, पेशा व्यापार।

3— श्रीमती श्यामवती नामदेव पत्नी स्व0 श्री रामशरण नामदेव उम्र 67 वर्ष, पेशा घरूकार्य ।

4— वैजनाथ नामदेव तनय स्व0 श्री बृजनन्दन नामदेव, उम्र 62 वर्ष पेशा दुकान।

5— रामलखन तिवारी तनय श्री रामखेलावन तिवारी उम्र 72 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त।

6— हीरालाल पटेल तनय श्री रामसेकव पटेल, उम्र 68 वर्ष, पेशा पुजेरी।

7— बृजवासी प्रसाद पटेल तनय श्री सूर्यदीन पटेल उर्फ चिगिर्दी पटेल उम्र 70 वर्ष, पेशा सेवानिवृत्त।

8— रामलाल पटेल तनय श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल, उम्र 75 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त सभी निवासी इटौरा पो0आ0 सगरा, थाना अनंतपुर तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

——————अपीलार्थीगण / आवेदकगण

बनाम्

श्रीमती अनीश ताहरा पत्नी श्री अमीनुद्दीन सिददीकी उम्र 70 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी जानकी पार्क कटरा, रीवा तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

——————उत्तरदाता / अनावेदिका

अपील विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 140 / अपील / 2014—2015 आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

प्रकरण कमांक R 5210-II/15 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... आदि के हस्ताक्ष...
10–2–2016	यह निगरानी आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 155 / अ–6–अ / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 29–9–15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री वी0 पी0 चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्को एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में निगरानी मेमों के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 29–9–15 की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि आयुक्त द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में मात्र धारा 5 के आवेदन के संबंध में ही व्याख्या की जाकर प्रकरण को धारा 5 के बिन्दु पर ही अग्राह्य किया गया है। प्रकरण में विद्यमान स्थिति एवं अपीलार्थीगण (निगराकारगण) के बिन्दुओं पर गुणदोष पर विचार नहीं किया गया है, जबकि वे यह कह रहे हैं कि विवादित भूमि से आम जनता का हित जुड़ा है, और एक व्यक्ति (गैर निगराकार) को लाभ पहुँचाने के लिए अनेक ग्रामवासियों का शासकीय भूमि से संबंधित हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए । इस बिन्दु पर विचार किया जाना प्रथम दृष्ट्या न्यायहित एवं आमजनता से जुड़ा होना प्रतीत होता है । अतः, आयुक्त रीवा का आक्षेपित आदेश दिनांक 29–9–15 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है, और उन्हें (आयुक्त	

निग0 5216–दो / 15 जिला रीवा

रीवा) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 140 / अपील / 14–15 में न्यायहित में विलंब माफ करते हुए, उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए, गुणदोष पर निर्णय पारित करें ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हो ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हों ।

10.2.16
(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य